उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 21.01.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांकः -21.01.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरुकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 21.01.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत महोबा पुलिस का सघन औचक ड्राइव अभियान, बाल विवाह/रक्षा अभियान के अंतर्गत संदिग्ध स्थलों पर चेकिंग, जन-जागरूकता एवं सख्त हिदायत...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह (नोडल अधिकारी) महोबा के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी महोदय कार्यालय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में महिला एवं बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन सुनिश्चित करने हेतु मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत बाल विवाह/रक्षा अभियान के तहत एक औचक सघन अभियान संचालित किया गया।

उक्त अभियान के अंतर्गत थाना एएचटीयू जनपद महोबा से उ0नि0 फूलचन्द्र मिश्र के नेतृत्व में मय हमराह म0कां0 कविता देवी, मुख्य आरक्षी कृष्ण कुमार पटेल, श्री दीपक कुमार (कोऑर्डिनेटर, चाइल्ड लाइन महोबा) तथा कां0 मोहम्मद तन्जीम, कां0 विजय कुमार एवं म0कां0 शान्ति देवी (जीआरपी थाना महोबा) की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा क्षेत्र में पड़ने वाले होटलों, दुकानों, वर्कशॉप, गैराजों एवं अन्य संदिग्ध स्थलों पर सघन औचक चेकिंग की गई।

अभियान के दौरान गजानन होटल (स्टेशन रोड, चरखारी बाईपास), विश्वकर्मा फर्नीचर हाउस (छतरपुर रोड), साँईमार्ट (भटीपुरा), विघ्नहर्ता वासुन्दी चाय-लस्सी शॉप (पुलिस लाइन रोड) तथा रेलवे स्टेशन महोबा सहित अन्य स्थानों पर गहन जांच की गई। चेकिंग के दौरान कोई भी नाबालिग बालक/बालिका बाल श्रम करते हुए नहीं पाया गया।

इस अवसर पर एएचटीयू टीम द्वारा दुकानदारों, ढाबा संचालकों एवं प्रतिष्ठान स्वामियों को कड़ी हिदायत दी गई कि नाबालिग बालक/बालिका से कार्य कराना कानूनन दंडनीय अपराध है, तथा ऐसा पाए जाने पर विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही टीम द्वारा आम जनमानस को मानव तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति के दुष्परिणामों के संबंध में जागरूक किया गया तथा महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1090, 1098, 108, 112, 1076 एवं 181 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

महोबा पुलिस महिला एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत ऐसे औचक चेकिंग एवं जागरूकता अभियानों को भविष्य में भी निरंतर प्रभावी रूप से जारी रखा जाएगा।

जनपदीय एसओजी एवं थाना कबरई की संयुक्त पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता:-

जनपदीय एसओजी एवं थाना कबरई पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से विभिन्न प्रकार के पीली/सफेद धातु के जेवरात बरामद किए गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन पर जनपद में चोरी/लूट की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना स्तर पर पंजीकृत अभियोगों के सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.01.2026 को जनपदीय एसओजी व थाना कबरई की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना कबरई में पंजीकृत मु0अ0स0 330/25 धारा 331(4)/305(a)/324(4) बीएनएस, मु0अ0स0 342/25 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस व मु0अ0स0 11/26 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस से सम्बन्धित 05 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.देवीदीन प्रजापति पुत्र जय सिंह प्रजापति उम्र करीब 28 वर्ष 2.आशीष उर्फ अंशू पुत्र नन्द किशोर राजपूत उम्र 25 वर्ष 3.प्रशान्त तिवारी पुत्र राजेश तिवारी उम्र 20 वर्ष 4.सौरभ तिवारी पुत्र अवधेश तिवारी उम्र 30 वर्ष 5.आदेश राजपूत पुत्र शिवपाल राजपूत उम्र 24 वर्ष को गहरा नहर पुलिया थाना कबरई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मु0अ0सं0 330/25 से सम्बन्धित एक अदद कमरघरी (सफेद धातु), दो जोड़ी कुल चार अदद पायल (सफेद धातु) तथा एक अदद ठोस पीली धातु का टुकड़ा, मु0अ0सं0 342/25 से सम्बन्धित सफेद धातु के दो अदद हथफूल, एक अदद कमरपेटी, एक अदद करधनी, दो अदद पायल, छः अदद मीनादार विछिया (सफेद धातु), चार अदद मीनादार विछिया (सफेद धातु) अलग से, चार अदद विछिया (सफेद धातु) अलग से, एक अदद हाय (सफेद धातु), एक अदद ठोस पीली धातु का टुकड़ा, एक अदद चूड़ी (सफेद धातु) तथा चार अदद विछिया (सफेद धातु) व मु0अ0सं0 11/26 से सम्बन्धित सफेद धातु की दो जोड़ी (कुल चार अदद) पायल, सफेद धातु की आठ अदद नगदार विछिया, एक अदद हाय (सफेद धातु), एक अदद कमरपेटी (सफेद धातु), दो अदद हाय (सफेद धातु) एवं दो अदद पायल (सफेद धातु) बरामद की गयी। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1.देवीदीन प्रजापति पुत्र जय सिंह प्रजापति, उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम सरिला थाना जरिया, जनपद हमीरपुर
2.आशीष उर्फ अंशू पुत्र नन्द किशोर राजपूत उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम मसगंवा थाना राठ, जनपद हमीरपुर
3.प्रशान्त तिवारी पुत्र राजेश तिवारी उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम पड़ौरा थाना खरेला जनपद महोबा, हाल पता कहरा थाना कबरई जनपद महोबा
4.सौरभ तिवारी पुत्र अवधेश तिवारी उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम पड़ौरा, थाना खरेला जनपद महोबा
5.आदेश राजपूत पुत्र शिवपाल राजपूत उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

जनपदीय एसओजी टीम-

1. प्रभारी स्वॉट/सर्विलांस श्री शिव प्रताप सिंह
2. उ0नि0 विवेक यादव
3.कम्प्यूटर ऑपरेटर अभिषेक वर्मा
4. कां0 दीपक वर्मा 5.कां0 रंजीत सिंह
6.कां0 आशीष बघेल 7.कां0 निर्भय सिंह
8. कां0 सत्यम सिंह जादौन
9.कां0 अभिषेक दुबे

थाना कबरई पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
2.उ0नि0 अनुज कुमार सिंह
3.उ0नि0 गौरव चौबे
4.उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय
5.उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा
6.हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद
7.का0 शुभम कुमार

थाना अजनर की पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण, दो नामजद अभियुक्त गिरफ्तार, आलाक़त्ल चाकू बरामद

वादी श्री सुन्दरलाल निवासी ग्राम लेवा द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार दिनांक 19.01.2026 को उनके भाई स्व0 रामकृपाल की तेरहवीं के भोज के दौरान अजय सिंह, साहब सिंह व अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाली-गलौज व मारपीट की गई। मना करने पर अभियुक्तगण ने एकराय होकर वादी के भतीजे विकास व अनिल पर हमला किया। साहब सिंह द्वारा चाकू से वार किए जाने से विकास की मौके पर मृत्यु हो गई तथा अनिल सहित अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना अजनर पर मु0अ0सं0 16/26 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 103(1), 115(2), 352 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में थाना स्तर पर गठित 03 पुलिस टीमों द्वारा गोपनीय सूचना, गवाहों के बयान एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की तलाश की गई।

इसी क्रम में दिनांक 21.01.2026 को ग्राम बुधौरा व मवइया रोड पुलिया के पास से

नामजद अभियुक्तगण-

1. अजय यादव पुत्र मंगल सिंह, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम लेवा थाना अजनर जनपद महोबा (हाल पता– सरानी ब्रिज के पास, कोतवाली सिटी, जनपद छतरपुर म0प्र0)
2. साहब सिंह उर्फ साहिल उर्फ बउवा पुत्र देवेन्द्र यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम कनेरा थाना चरखारी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त साहब सिंह की निशादेही पर ग्राम लेवा स्थित खेत से एक अदद चाकू (आलाक़त्ल) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष अजनर श्री सुभाष चन्द्र 2.उ0नि0 आकाश मौर्य
3.का0 हरिओम 4.का0 नरेन्द्र कुमार

बरामदगी-

एक अदद चाकू (आलाक़त्ल)
एक अदद रॉयल इन्फील्ड बुलेट नं0 UP95V1210, अंतर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹2,000/- (दो-दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप विशेष पाक्सो कोर्ट महोबा द्वारा युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को 02-02वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹2,000/- (दो-दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना श्रीनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 20/20 धारा 363 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त क्रमश: 1.रोहित राजपूत पुत्र मदनलाल 2.सौरभ द्विवेदी पुत्र प्रमोद नि. गोहांड थाना जरिया जनपद हमीरपुर को मा0 न्यायालय द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 02–02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,000/- (दो-दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

@MahobaPolice